प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 15.01.2026

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 किलो अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभय नाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता साधू उर्फ मो. अजीज पुत्र रुआब अली निवासी सेमरी गनेशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम औराडाड़ के पास से 02 किलो अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 15.01.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
साधू उर्फ मो. अजीज पुत्र रुआब अली निवासी सेमरी गनेशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0स0 27/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
बरामदगी-

- 02 किलो अवैध गाँजा।
- 01 अदद मोटर साइकिल।
- 01 अदद मोबाइल।
- 220 नगद रुपये।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 57/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 487/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 307/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 507/2021 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 313/2025 धारा 112/305A/313/317(2)/331(3) बीएनएस0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे, प्रभारी चौकी जगदीशपुर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 रजनीश यादव, का0 महेन्द्र निषाद, का0 मुकेश कुमार, का0 अनिल प्रसाद, का0 सत्यम सिंह, का0 जितेन्द्र यादव।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर क्राइम थाना द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत 19986/- रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत 19986/ रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उन्होंने गूगल पे के माध्यम से अपने रिश्तेदार को पैसा भेजा गया था जो फेल्ड हो गया, जिसके सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए पीड़ित द्वारा सर्ज इंजन से गूगल पे कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नम्बर सर्च किया गया परन्तु गलत नम्बर पर काल कर दिया गया जिससे गूगल पे कस्टमर केयर से बात न होकर फ्राडर के पास काल चला गया, उससे बात करने पर उसके द्वारा पीड़ित से ओटीपी लेकर फ्राड कर दिया गया। प्रार्थना पत्र मिलते ही साइबर क्राइम थाना द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, साइबर क्राइम टीम द्वारा संबंधित बैंक और भुगतान गेटवे से संपर्क स्थापित कर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया, साइबर क्राइम पुलिस के त्वरित तकनीकी हस्तक्षेप के कारण धोखाधड़ी की पैसा वापस करवाया गया। इस पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जय प्रकाश चौबे, आ0 रामप्रवेश मद्धेशिया, आ0 धीरेन्द्र कुमार, आ0 सौरभ यादव।
संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-

- किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
- बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।
- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा कार से दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5994 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत गोइठहा से कालर द्वारा कार से दुर्घटना में घायल 01 महिला (01.सुनिता देवी पत्नी सुक्खु निवासी रमवापुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिला को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल महिला को ईलाज हेतु निजी वाहन से अस्पताल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रवीण कुमार, हो0गा0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 205 वाहनों से 2,75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 205 वाहनों से 2,75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 72 स्थानों पर 1366 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***966 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***23 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***50 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 178 व्यक्तियों को चेक किया गया, 170 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 207 व्यक्तियों को चेक किया गया, 185 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 100 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 18 स्थानों पर 148 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 73 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 260 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 115 व्यक्तियों को चेक किया गया, 20 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 163 व्यक्तियों को चेक किया गया, 31 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया, 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 50 व्यक्तियों को चेक किया गया, 47 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 65 स्थानों पर 2396 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 173 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1348 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 15.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।